

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 09/2022

निर्णय दिनांक : 21.07.2023

1. सीताराम पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति जाट, निवासी ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. अक्षय पुत्र रामलाल
2. कमलेश कुमार पुत्र रामलाल
3. प्रभूनारायण पुत्र जानकीलाल
4. लालचन्द पुत्र जानकीलाल

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तहसीलदार, तहसील सांगानेर।

प्रतिवादीगण



वाद पत्र बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादी उक्त भूमि का सहखातेदार है एवं उक्त भूमि का तकासमा करवाने का अधिकारी है। बहस वादी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर वादी का प्रतिवादीगण विरुद्ध दिनांक 20.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक एल. आर./2022/5929 दिनांक 08.07.2022 के संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है वकील वादी की बहस सुनी जाकर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 0.29 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.29 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, पटवार हल्का लाखना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

**उपखण्ड अधिकारी**  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	62	0.29	चाही ए जाव ए		अक्षय पुत्र रामलाल हिस्सा 1/8, कमलेश कुमार पुत्र रामलाल हिस्सा 1/8, प्रभूनारायण पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4, लालचन्द पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4, जाति बागडा ब्राह्मण, सा. देह, सीताराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/4, जाति जाट, सा. हाज्यावाला खातेदार
	किता-1	0.29			
प्रस्तावित कुर्रजात इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	किस्म	
1	62 मिन	0.0632	सीताराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा सम्पूर्ण, जाति जाट, सा. हाज्यावाला खातेदार	चाही ए	
	किता-1	0.0632			
2	62 मिन	0.1896	अक्षय पुत्र रामलाल हिस्सा 1/6, कमलेश कुमार पुत्र रामलाल हिस्सा 1/6, प्रभूनारायण पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/3, लालचन्द पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/3, जाति बागडा ब्राह्मण, सा.देह खातेदार	चाही ए जाव ए	
	किता-1	0.04			
3	62 मिन	0.0372	अक्षय पुत्र रामलाल हिस्सा 1/8, कमलेश कुमार पुत्र रामलाल हिस्सा 1/8, प्रभूनारायण पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4, लालचन्द पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4, जाति बागडा ब्राह्मण, सा.देह, सीताराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/4, जाति जाट, सा. हाज्यावाला खातेदार	जाव ए	
	किता-1	0.0372			

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जायें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपस्थण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)  
उपस्थण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)  
जयपुर।

अंतिम डिफ्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास  
एकता काबरा, आर.ए.एस.  
वाद संख्या : 09/2022

1. सीताराम पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति जाट, निवासी ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. अक्षय पुत्र रामलाल
2. कमलेश कुमार पुत्र रामलाल
3. प्रभूनारायण पुत्र जानकीलाल
4. लालचन्द पुत्र जानकीलाल  
समस्त जाति बागडां ब्राह्मण, निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तहसीलदार, तहसील सांगानेर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज०

काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिन जानिब मुदई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 0.29 हैक्टेयर, कुल कित्ता 1 रकबा 0.29 हैक्टेयर बाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, पटवार हल्का लाखना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	62	0.29	चाही ए जाव ए		अक्षय पुत्र रामलाल हिस्सा 1/8, कमलेश कुमार पुत्र रामलाल हिस्सा 1/8, प्रभूनारायण पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4, लालचन्द पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4, जाति बागडा ब्राह्मण, सा. देह, सीताराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/4, जाति जाट, सा. हाज्यावाला खातेदार
	कित्ता-1	0.29			

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	62 मिन	0.0632	सीताराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा सम्पूर्ण, जाति जाट, सा. हाज्यावाला खातेदार	घाही ए
	किता-1	0.0632		
2	62 मिन	0.1896	अक्षय पुत्र रामलाल हिस्सा 1/6, कमलेश कुमार पुत्र रामलाल हिस्सा 1/6, प्रभूनारायण पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/3, लालचन्द पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/3, जाति बागडा ब्राह्मण, सा.देह खातेदार	घाही ए जाव ए
	किता-1	0.04		
3	62 मिन	0.0372	अक्षय पुत्र रामलाल हिस्सा 1/8, कमलेश कुमार पुत्र रामलाल हिस्सा 1/8, प्रभूनारायण पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4, लालचन्द पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/4, जाति बागडा ब्राह्मण, सा.देह, सीताराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/4, जाति जाट, सा. हाज्यावाला खातेदार	जाव ए
	किता-1	0.0372		



तहसीलदार सांगनेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगनेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूदबशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.07.2023 को जारी की

गई।

मुहर

दस्तखत

सपखण्ड अधिकारी  
ओहदा जयपुर जिला (सांगनेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सपखण्ड अधिकारी  
जयपुर जिला (सांगनेर)